

ई मेल

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

शुद्धि पत्र

विभागीय पत्रांक-6/रा0ग्रा0पे0यो0-108/13 (भाग-I)-325 (आ0) दिनांक-08.01.2026 के द्वारा निर्गत विमुक्ति आदेश पत्र के विषय एवं कंडिका-2 में अंकित परिचालन एवं रख-रखाव के स्थान पर निर्माण तथा परिचालन एवं रख-रखाव पढ़ा जाय।

2. शेष यथावत् रहेंगे।

विश्वासभाजन

[Signature]

(दया शंकर प्रसाद)

मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

ज्ञापांक:-6/रा0ग्रा0पे0यो0-108/13 (भाग-I)- 333 (आ0) पटना, दिनांक:-13/1/26

1. प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि- प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रशासनिक एवं वित्तीय विंग, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रतिलिपि-विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/ संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन/ अधीक्षण अभियंता (मो0)/ बजट पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-10/ आई0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी-6/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी,-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

(दया शंकर प्रसाद)

मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक -6/रा0ग्रा0पे0यो0-108/13 (भाग-I)- 325 (मा0)
सेवा में,

पटना, दिनांक- 08/04/2026

प्रशासनिक पदाधिकारी,
प्रशासनिक एवं वित्तीय विंग,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषय:- वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 65 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत योजना अंतर्गत तारतर ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु केन्द्रांश मद से 3.80530 लाख रुपये (तीन लाख अस्सी हजार पाँच सौ तीस रुपये) मात्र की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 65 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक-6/रा0ग्रा0पे0यो0-108/13-2376, दिनांक-27.12.13 के द्वारा कुल 12496.285 लाख (एक सौ चौबीस करोड़ छियानबे लाख अठ्ठाईस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व के द्वारा राशि की अधियाचना की गई है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त प्रमंडल के तारतर ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता में **NRDWP** के केन्द्रांश मद की उपलब्ध निधि से निम्न तालिका के अनुसार **3.80530 लाख रुपये (तीन लाख अस्सी हजार पाँच सौ तीस रुपये)** मात्र की राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	ग्रामीण जलापूर्ति का नाम	केंद्रांश मद में स्वीकृत राशि (लाख रु० में)	केंद्रांश मद में अबतक विमुक्त राशि (लाख रु० में)	विमुक्त राशि (लाख रु० में)			
					सामान्य	अनुसूचित जति	अंको में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पटना पूर्व	तारतर	145.00	117.00	0.00	3.80530	3.80530	तीन लाख अस्सी हजार पाँच सौ तीस रुपये मात्र।

अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के केन्द्रांश मद में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व को उक्त राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से विमुक्त की जाय।

विश्वासभाजन

(Handwritten Signature)
03/11/26

(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

- i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत केन्द्रांश मद में पी0एल0 खाता के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।
- ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
- iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

2. प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. प्रतिलिपि-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन अधीक्षण अभियंता (मो0)/बजट पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0-1)/कार्यपालक अभियंता (मो0-2)/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-10/आई0टी0, मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी-6/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Dan
07/11/20

(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)